



# फतेहगढ़ पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**कमालगंज**

**दि0-07.05.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त नन्हे पुत्र ईश्वर दयाल निवासी ग्राम कीरतपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-164/2007 बाद स०- 228/2023 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 07.05.2024 को मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गयी अवधि व 700 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्री नजमुद्दीन कादरी



कोर्ट मोहरीर हे०का० हिमांशु कुमार



पैरोकार उ०नि० जहान सिंह







